

लोकतंत्र

Q. लोकतंत्र क्या है ?

— ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ शासक का चुनाव जनता करते है उसे लोकतंत्र कहते है।

लोकतंत्र की विशेषताएँ :-

(i) लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है।

(ii) लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है।

(iii) लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है।

(iv) लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर ही कार्य करता है।

लोकतंत्र के खिलाफ तर्क (बुराईयों या चुनौतियों)

(i) लोकतंत्र में नेता बदलते रहते है जिससे अस्थिरता उत्पन्न करती है।

(ii) लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई होती है इसमें नैतिका पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(iii) लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है जिससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है।

(iv) लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई भी फैसला आने से बहस होती है जिससे फैसला का निष्कर्ष आने में देर लगती है।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

* लोकतंत्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं :-

- (i) लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरी से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है।
- (ii) लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है।
- (iii) लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है।
- (iv) लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है।

Q. गांधी जी भारत का संविधान लिखने के समय भाग क्यों नहीं लिए।

उत्तर - गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत का संविधान लिखने में भाग नहीं लिया। वे एक "जन नेता" थे न कि प्रशासनिक समिति के सदस्य। इसके मुख्य कारण देश के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों को शांति करने में उनकी व्यस्तता ग्राम-आधारित शासन पर उनका जोर और संविधान निर्माण प्रक्रिया में खुद को शामिल न करने का निर्णय था।

संविधान निर्माण

* संविधान

— संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें देश चलाने के नियम कानून लिखे गए हैं।

भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया

(a) संविधान निर्माण के लिए देश के विभिन्न हिस्से से 299 प्रतिनिधि चुनकर आए।

(b) प्रतिनिधियों की चुनाव 1946 ई० को हुआ।

संविधान सभा की बैठक

(i) संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ई० को हुआ था।

(ii) संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया।

(iii) संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया।

(iv) संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया।

(v) संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना दिन का समय लगा एवं 26 जनवरी 1949 ई० को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 ई० को लागू किया गया।

(vi) 26 जनवरी 1950 ई० की संविधान लागू होते ही देश गणतंत्र बन गया।

संविधान का क्या लाभ है ?

* संविधान लोगों के बीच भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है।

(a) संविधान के आधार पर ही सरकार का गठन होता है एवं फैसले लेने का अधिकार मिलता है।

(b) संविधान सरकार के अधिकारों का सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है।

(c) संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए आकांक्षियों को व्यक्त करता है।

(d) प्रस्तावना (उद्देशिका) Preamble

* हम भारत के लोग इसका अर्थ है कि भारत के संविधान निर्माण भारत के लोगों ने किया है न कि किसी राजा या बाहरी लोगों ने।

(e) प्रभुत्व - संपन्न इसका अर्थ है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है।

(c) समाजवादी
 इसका अर्थ है समाज में सभी लोगों के लिए समाज इज्जत प्रतिष्ठा समानताएँ आदि प्राप्त हो।

(d) पंथ - निरपेक्ष (धर्म - निरपेक्ष)
 इसका अर्थ है भारत के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म या पंथ अपनाने का पूर्ण अधिकार है।

(e) लोकतंत्रात्मक
 इसका अर्थ है भारत के नागरिक अपने शासक का चुनाव स्वयं करें।

(f) गणराज्य
 इसका अर्थ है भारत का शासक लोगों के द्वारा चुने जाएँगी किसी राजा या नेता का पुत्र नहीं बनेगी।

(g) न्याय
 इसका अर्थ है नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(h) स्वतंत्रता
 इसका अर्थ है भारत के नागरिक अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।

समता

इसका अर्थ है सरकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगी।

★ समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों की 42 वें संविधान संसोधन के द्वारा 1976 ई० में प्रास्तवना में जोड़ा गया।

★ संविधान संसोधन संविधान में कोई नया कानून जोड़ना हटाना या बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संसोधन कहते हैं।

[Handwritten signature and scribbles]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

चुनावी राजनीति

★ चुनाव क्यों ?

- (i) चुनाव जनता को शासक बदलने का मौका प्रदान करता है।
- (ii) चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में कराया जाता है।
- (iii) चुनाव से क्षेत्र का शासक बदलते रहते हैं जिससे विविधता होता है।

★ मतदाता - भारत में 18 वर्ष या उससे ज्यादा का लौगा जिसका नाम मतदाता सूची में हो उसे वोट देने का अधिकार है।

★ चुनावों की ज़रूरत क्यों है ?

- (i) मतदाता चुनाव के दौरान ही कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं।
- (ii) मतदाता सरकार बनाने के लिए चुनाव करते हैं।

★ चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं ? कैसे ?

- (i) देश के सभी मतदाता को मत देने का अधिकार है एवं सभी के मतों का समान मूल्य है।
- (ii) चुनाव में विकल्प उपलब्ध होता है एवं उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने का आजादी होता है।
- (iii) एक निश्चित समय अंतराल में चुनाव का अवसर मिलता है।
- (iv) चुनाव में मतदाता स्वतंत्र होते हैं, वह जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं।

चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र

- वह क्षेत्र जहाँ से प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़े होते हैं उसे चुनाव क्षेत्र कहते हैं। अलग - अलग चुनाव के लिए अलग - अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित हैं।

★ भारत में कुल 543 सीटें। लोकसभा क्षेत्र हैं।
★ झारखण्ड में कुल 14 लोकसभा क्षेत्र हैं।

आरक्षित चुनाव क्षेत्र

कुछ सीटें (चुनाव क्षेत्र) किसी खास वर्ग SC/ST/OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस क्षेत्र को आरक्षित चुनाव क्षेत्र (Reserve) कहते हैं।

★ झारखण्ड में लोकसभा की 14 सीटों में से 6 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं।

5 सीटें - ST (राजमहल, हुमका, सिंहभूम, खैरी, लीहरदगा)

1 सीटें - SC (पलामू)

ST - Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)

SC - Scheduled Caste (अनुसूचित जाति)

★ भारत में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं।

ST = 28

SC = 09

Gen = 44

81

★ 543 सीटों में से 84 सीटों के लिए SC के लिए 47 सीटों के लिए आरक्षित हैं। ST

मतदाता सूची (Voter List)

- ऐसी सूची जिसमें किसी Booth के सभी वैध मतदाता का नाम अंकित रहता है, उसे मतदाता सूची कहते हैं।

उम्मीदवारों का नामांकन

उम्मीदवार - वह व्यक्ति जो किसी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव क्षेत्र से नामांकन कराता है, उसे उम्मीदवार कहते हैं।

★ उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता:-

उम्र - 25 वर्ष

- (i) भारत का नागरिक होना चाहिए
- (ii) कोई सशस्त्री सेवा के पद पर न हो।
- (iii) दिवालिया न हो (जिसकी दिमागी हालत ठीक न हो)
- (iv) ...

★ प्रत्येक उम्मीदवार को निम्न विवरण (जानकारी) देना पड़ता है :-

- (i) शिक्षित योग्यता
- (ii) अपने और अपने परिवार का संपत्ति व्यौरा (Detail)
- (iii) अपने ऊपर चल रहे गंभीर अपराधिक मामले

चुनावी अभियान

★ उम्मीदवार अपने सहयोगियों के साथ चुनावी अभियान करते हैं।

★ चुनावी अभियान के दौरान नेता जी (उम्मीदवार) अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं।

★ जगह-जगह पर रैली करते हैं, जनता के सामने तरह-तरह के वादे करते हैं।

★ कुछ महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा चुनावी अभियान में दिया गया नारा :-

(i) 1971 में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था।

(ii) 1977 में जयप्रकाश नारायण ने 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा दिया था।

उम्मीदवार चुनावी अभियान में क्या नहीं कर सकते हैं :-

- (i) मतदाता को धूस या प्रलोभन नहीं दे सकते हैं।
- (ii) मतदाता को धमकी नहीं दे सकते हैं।
- (iii) जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं माँगा सकता है।